कार्यालय, लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक,	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता, जोन–4 लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। पत्रांक सं0 3191/88-4/13 दिनांक 30/9/13	मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, एल्डिको कारपोरेट चैम्बर–1 विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

–:विषय:–

शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रक्षाखण्ड (उदयन–2) में बंधक भूमि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र संख्या–एलडी/जी/62–बी/15225 दिनांक 09.05.2013 के क्रम में शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रक्षाखण्ड (उदयन–2) के तलपट मानचित्र स्वीकृत के समय वाह्य विकास व्यय व आन्तरिक के सम्बन्ध में बल्क सेल विभाग आवश्यक कार्यवाही करायेगे। तदोपरान्त बल्क सेल से प्राप्त आख्या के क्रम में विकास कर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो के अनुसार विकास कार्य पूर्ण होने के बाद उक्त सेक्टर सम्बन्धित विभागो अर्थात नगर निगम, जल संस्थान आदि हस्तान्तरित किया जा चुका है। बन्धक भूमि जो स्वीकृत तलपट मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित मार्क–ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एवं जे को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 27.09.2013 को इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि बंधक भूखण्डों के मध्य आन्तरिक विकास/वाह्य विकास कार्यो को पूर्ण कराते हुए प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 30/9

अधि0अभि0, जोन–4

प्रतिलिपिः–

विशेष कार्याधिकारी, महोदय (बल्क सेल) को अवलोकनार्थ।

अधि0अभि0, जोन–4

कार्यालय मुख्य अभियंता (लेसा)
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0
4–ए, गोखले मार्ग
लखनऊ

संख्या : 2083(A)–मु0अभि0/लेसा/वाणिज्य–08 दिनांक : 11.06.2015

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा निम्नलिखित इकाई/पार्टी के पक्ष में अधोलिखित शर्तो प्रतिबन्धों के अधीन आवासीय अवस्थापना विद्युत भार बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु विद्युत भार स्वीकृत किया जाता है:–

क्र. सं.	इकाई/पार्टी का नाम व पता	स्वीकृत विद्युत भार	प्रयोजन	कार्यस्थल
1	2	3	5	6
1	श्री अजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, एल्डिको, कारपोरेट चेम्बर–1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	980 कि0वा0	आवासीय कालोनी हेतु।	श्री अजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, समृद्धि रक्षा खण्ड एल्डिको, उद्यान–2, शारदा नगर, रायबरेली रोड, लखनऊ।

उपरोक्त विद्युत भार विद्युत वितरण संहिता 2005 (संशोधित) में निहित प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त अवमुक्त किया जाये।

1. उपरोक्त विद्युत भार 11 के.वी. पोषक से निर्गत किया जाएगा।
2. यदि भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास विकास परिषद/नगर निगम अथवा अन्य तत्सम्बन्धी सक्षम विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति की जाती है तो उस स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा। ऐसी स्थिति में स्वीकृत भार/संयोजन निरस्त कर दिया जाएगा।
3. प्रभावित 400/220/132 के0वी0 उप–स्थानों पर स्थापित परिवर्तकों की निर्धारित अधिकतम लोड़िंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा मे इकाई की विद्युत आपूर्ति मे कटौती की जा सकती है।
4. विद्युत प्रणाली की लोड़िंग के कारण आपूर्ति विभव मानक से कम/अधिक हो सकती है।
5. इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उक्त वर्णित विद्युत भार उपयोग न करने की दशा में अथवा नियम एवं शर्तें दिये जाने की तिथि से छह माह के अन्दर वांछित धनराशि जमा न किये जाने की दशा में , जो भी तिथि पहले हो, से यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के नियम के अर्न्तगत की जायेगी परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली को सुरक्षा हेतु समय–समय पर आवश्यकता अनुसार रोस्टरिंग तथा आपातकालीन रोस्टरिंग की जा सकती है।
7. विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन में लागू रेट शिड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
8. किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगरपालिका/नगरमहापालिका /टाउन एरिया की सीमा से बाहर बढ़ाकर विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।यदि कॉलम.6 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम से पहले से कोई कनेक्शन रहा हो तो उक्त भार तब तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरूद्ध बकाया कारपोरेशन की धनराशि (यदि कोई हो) का पूरा भुगतान न कर दिया जाय।

कृ0प0उ0

9. यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और कारपोरेशन के मध्य कोई न्यायिक विवाद अथवा कोर्ट केस लम्बित हो तो इस दशा में भी विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
10. कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
11. विद्युतीकरण का कार्यपूर्ण होने के उपरान्त सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, लखनऊ जोन, कमरां नं0–110 से विद्युत सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र मिलने के उपरान्त ही आप द्वारा विकसित प्रणाली तंत्र को लेसा नेटवर्क से जोड़ा जायेगा।

कार्यालय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ जोन लखनऊ के कार्यालय से अधिष्ठापन का भारतीय विद्युत नियमावली, नियमों के अर्न्तगत सन्तोष–जनक प्रमाण पत्र प्राप्ति करें।

सुधीर कुमार वर्मा
मुख्य अभियन्ता (लेसा)

संख्या : 2083(A)/मु0अभि0/लेसा/तद्दिनाँकः 11.06.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–सप्तम्, लेसा, लखनऊ।
3. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड–2, कमरा नं0.112 गोमतीनगर, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–वृन्दावन, लेसा, लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित कि अपने स्तर से भी आवेदनकर्ता को इस कार्यालय ज्ञाप की छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. श्री अजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, एल्डिको, कारपोरेट चेम्बर–1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(आर0पी0 प्रेम)
अधिशासी अभियन्ता (वा0)
कृते मुख्य अभियन्ता, लेसा